संख्या: 66/2020/1801/छप्पन-2020-31/2016(PMIC)

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/
सदस्य सचिव, (PMIC),
ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2020

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु Concession Agreement हस्ताक्षरित किए जाने, Bid Validity की अवधि में विस्तार किया जाना एवं एयरपोर्ट क्षेत्र में पड़ने वाली अवस्थापनाएं।

महोदय,

नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु चयनित विकासकर्ता के साथ Concession Agreement हस्ताक्षरित किए जाने, Bid Validity की अवधि में विस्तार किए जाने एवं एयरपोर्ट क्षेत्र में पड़ने वाली अवस्थापनाओं के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(क) PMIC की दिनांक 11 अगस्त, 2020 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत पत्र संख्या-1418/छप्पन-2020-31/2016(PMIC) दिनांक 14 अगस्त, 2020 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

PMIC की उक्त बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2020 में लिए गए निर्णयों के सन्दर्भ में निर्गत पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2020 के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

(1) The PMIC agreed on the extension for (i) a period of 45 days from the date of start of scheduled commercial international flights between India & Malaysia and India & Switzerland (whichever is later) plus the period of mandatory quarantine in India; or (ii) 15th October 2020, whichever is earlier, In addition, various circulars issued by the Government of India will be shared with Zurich Airport International AG to plan travel at the earliest. The PMIC will review the timelines based on any further update.

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) It is instructed that department should write to MHA and MoCA requesting for enabling the travel of the Concessionaire at the earliest. It was also noted that the bid validity and bid security submitted by the three Bidders is valid till 24th October 2020. Given the recent pandemic and limited clarity of the starting of the international travel, it was agreed that the Bidders would be requested to extent their bid security and bid validity till 31st March 2021.

(3) The PMIC noted that all the provisions of the Concession Agreement will be complied by both the two parties (Concessionaire and NIAL) and no change in the Concession Agreement is permissible at this stage of the project. Any request by the Concessionaire which are beyond the provisions of concession agreement may be decided at the level of department/NIAL if there is no reason for considering the request.

(4) If travel is not possible in coming times, the feasibility of signing the agreement from remote locations is also to be explored.

(5) The PMIC agreed to review the timelines again if there is any further delay or change in circumstances.

(ख) नॉएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 को सम्पन्न बैठक में अन्य निर्णयों के साथ ही जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में पड़ने वाली शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, महिला कल्याण विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों/अवस्थापनाओं आदि के विस्थापन पर होने वाले व्यय को उनके विभागीय बजट के माध्यम से वहन किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनुपालन में शासनादेश संख्या-130/2018/ 2439/छप्पन-2018-31/16 दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 को निर्गत किया गया था।

मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 को सम्पन्न बैठक में लिए गए उपर्युक्त निर्णय के अनुसार ही नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की परिसम्पत्तियों/अन्य अवस्थापनाओं के विस्थापन/ अवसंरचनाओं की स्थापना से सम्बन्धित कार्य लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट के माध्यम से वहन किए जाने तथा एयरपोर्ट पर विद्युत आपूर्ति हेतु निकटतम विद्युत उपकेन्द्र से चिन्हित स्थान (जेवर एयरपोर्ट) तक आवश्यकतानुसार विद्युत लाइन एवं उपकेन्द्र के निर्माण तथा एयरपोर्ट क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत विभाग की परिसम्पत्तियों यथा विद्युतीय लाइनों एवं उपकेन्द्र आदि का विस्थापन/अवसंरचनाओं की स्थापना किए जाने इत्यादि से सम्बन्धित कार्य पर होने वाला व्यय ऊर्जा विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट के माध्यम से वहन किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0- 66/2020/1801(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा/ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
7. विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया)/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
8. कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।